मेरठ विकास प्राधिकरण

की

55वीं बोर्ड बैठक

दिनॉक 17—9—97

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की बैठक दिनाँक 17-9-97

समय : 11-00 बजे पूर्वान्ह

स्थान : आयुक्त सभाकक्ष

उपस्थिति :

1-	श्री एच०एल०बिरदी	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।	अध्यक्ष
2-	श्री अतुल कुमार गुप्ता	प्रमुख सचिव, आवास, उ०प्र०शासन।	सदस्य
3-	श्री संजय अग्रवाल	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य
4-	श्री एस०डी०कुरील	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ।	सदस्य
5-	श्री राजगोपालन	आयुक्त, एन०सी०आर०	सदस्य
6-	श्री चन्द्रहास शर्मा	मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, मेरठ।	सदस्य
7-	श्री एस०बी०जौहरी	संयुक्त निदेशक, कोषागार, मेरठ।	सदस्य
8-	श्री चन्द्र सिंह	संयुक्त निदेशक, उद्योग, मेरठ।	सदस्य
9-	श्री एम०पी०अनेजा	वरिष्ठ नियोजक, उ०प्र०शासन, लखनऊ। (मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के प्रतिनिधि)	सदस्य
10-	श्री प्रमांशु	उप आवास आयुक्त, उ०प्र०आवास विकास परिषद, मेरठ।	सदस्य
11-	श्री ए०के०गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र०जलनिगम, मेरठ।	सदस्य

मद संख्या - 1

मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनाँक 17-3-97 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

कार्यवृत्त दिनाँक 17-3-97 की पुष्टि की गयी।

मद संख्या - 2

मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनाँक 17-3-97 में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या।

बोर्ड बैठक दिनाँक 17-3-97 में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी। बोर्ड उक्त अनुपालन आख्या से सन्तुष्ट

हुआ किन्तु साथही निर्देश दिये गये कि भूउपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में शासन का अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया जाये ।

मद संख्या - 3

वित्तीय बर्ष 1997-98 के लिये आय व्ययक प्रस्ताव ।

वित्तीय बर्ष 1997-98 के लिये आय व्ययक प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखे गये सभी प्रस्तावों पर विचारोपरान्त निम्न संशोधन के साथ वित्तीय बर्ष 1997-98 के लिये आय व्ययक प्रस्ताव पारित किया गया ।

1- शमन शुल्क में रुपये 150.00 लाख के प्राविधान को बढाकर 2000.00 लाख किया गया ।

2- विकास शुल्क में रुपये 25.00 लाख के स्थान पर रुपये 41.00 लाख का प्राविधान किया गया ।

3- व्यय पक्ष में भूअर्जन मद में रुपये 2000.00 लाख के स्थान पर 3850.00 लाख का प्राविधान किया गया ।

4- जे०सी०बी० मशीन क्रय करने हेतु वाहन मद में रुपये 6.00 लाख के स्थान पर रुपये 22.00 लाख का प्राविधान किया गया ।

मद संख्या - 4

नई आवास नीति के अन्तर्गत प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आश्रयहीन व्यक्तियों के लिये पाँच हजार आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव निम्नलिखित संशोधन के साथ पारित किया गया ।

1- भवनों के आबंटन हेतु 6 रुपये 12 रुपये और 18 रुपये प्रतिदिन के भुगतान का अधार रखा जाये तथा समय से भुगतान करने पर क्रमशः रुपये 1, 2 व 3 की छूट का प्राविधान रखा जाये ।

2- उपरोक्त योजना में निर्मित किये जाने वाले भवनों के निर्धारित किये गये 5000 भवनों के लक्ष्य को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्धमें समुचित स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त शासन के समक्ष प्रस्ताव पेषित किया जाये ।

3- भवनों के निर्माण हेतु आवश्यक न्यूनतम धनराशि का ऋण प्राप्त किया जाये ।

मद संख्या - 5

शताब्दी नगर योजना में प्रस्तावित हवाई पटटी हेतु भूअर्जन मूल्य एवं बाहय विकास व्यय के निर्धारण के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त विकल्प सं०-1 के अनुसार कार्यवाही का अनुमोदन किया गया तथा प्रस्तावानुसार अवशेष धनराशि रुपये 266.46 लाख नागरिक उडडयन विभाग से प्राप्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

मद संख्या - 6

व्यवसायिक उपयोग हेतु मानचित्र की अनुज्ञा के लिये अनुमन्य एफ०ए०आर० तथा भू-आच्छादन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श के दौरान वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा एफ०ए०आर० अनुमन्य होने की स्थिति के भू-आच्छादन को कम रखे जाने का सुझाव प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव पर निम्न संशोधन के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी कि जोनल शापिंग केन्द्र/सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट तथा एक हजार वर्गमीटर तक के वाणिज्य केन्द्र/उपकेन्द्र के भूखण्डों पर भूआच्छादन 40 प्रतिशत के स्थान पर 35 प्रतिशत रखा जाये ।

मद संख्या - 7

सुभारती के०के०बी० चैरिटेबल ट्रस्ट को मेडीकल कालेज की स्थापना के लिये वेदव्यासपुरी योजना में भूमि आबंटन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तार से विचार किया गया। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि आबंटन की शर्तो पर निर्णय पूर्ववत रखते हुए योजना के सैक्टर रेट में हुई वर्तमान वृद्धि के अनुसार सुभारती के०के०बी० चैरिटेबल ट्रस्ट को आबंटित भूमि की दर में भी समानुपातिक वृद्धि करते हुए पुरानी दर पर देय ब्याज सहित भूमि मूल्य में से जो भी कम हो वह वसूल किया जाये तथा कब्जा

भूमि की 25 प्रतिशत धनराशि वसूल होने के बाद ही संस्था को हस्तगत किया जाये ।

मद संख्या - 8

इन्टरनेशनल इंस्टीटयूट आफ एजूकेशन द्वारा ग्राम शोभापुर में क्रय किये जाने वाली भूमि पर 'मेडीकल कालेज' की स्थापना के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव निरस्त किया गया ।

मद संख्या - 9

ग्राम रामपुर पाबटी, बागपत रोड में लगभग 11.711 हैक्टेअर भूमि का भूउपयोग मेरठ महायोजना - 2001 में निर्दिष्ट 'कृषि हरित पट्टी' से शैक्षिक भूउपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय किया गया कि संस्था द्वारा वेदव्यासपुरी योजना में क्रय की जाने वाली भूमि पर मेडीकल/डेन्टल कालेज की स्थापना का कार्य प्रारम्भ करने के उपरान्त भूउपयोग परिवर्तन पर ही विचार किया जा सकता है । साथ ही भूउपयोग परिवर्तन किये जाने के लिये कार्यालय आयुक्त, एन०सी०आर०, गाजियाबाद से एन०ओ०सी० प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाये । तत्पशचात ही भूउपयोग परिवर्तन पर विचार किया जायेगा ।

मद संख्या - 10

प्राधिकरण की शताब्दी नगर योजना में 'डा० भीमराव अम्बेडकर हवाई पटटी' की भूमि का भूउपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव स्वीकृत किया गया तथा भूउपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

मद संख्या - 11

श्री अमित अग्रवाल, विधायक मेरठ छावनी क्षेत्र, मेरठ एवं वास्तुविद संगठन, मेरठ द्वारा मेरठ महायोजना-2001 से सम्बन्धित अन्य सुझावों के सम्बन्ध में।

समिति की रिपोर्ट प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अवलोकित की गयी तथा इस रिपोर्ट को मद संख्या - 12 के साथ निस्तारित किये जाने का निर्णय हुआ।

मद संख्या - 12

माननीय विधायक श्री अमित अग्रवाल, मेरठ छावनी द्वारा महायोजना - 2001 में निर्मित क्षेत्र के प्रस्तावित सुझावों के सम्बन्ध में

उपरोक्त प्रस्ताव पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु माननीय विधायक श्री अमित अग्रवाल को अवसर प्रदान किया गया तथा उनके द्वारा निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत बाजार क्षेत्र व सघन बाजार क्षेत्र में व्यवसायिक निर्माण की अनुमन्यता के सम्बन्ध में विस्तार से अवगत कराया गया। प्रस्ताव पर माननीय विधायक जी द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरण को व्यवहारिक मानते हुए निर्णय लिया गया कि व्यवसायिक उपयोगिता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत परीक्षण कर मेरठ महायोजना-2001 में आवश्यक संशोधन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।

मद संख्या - 13

मेरठ महायोजना - 2001 में निर्दिष्ट कतिपय महायोजना मार्गो की प्रस्तावित चौडाई में संशोधन के सम्बन्ध में।

वर्तमान चौडाई के संशोधन के सम्बन्ध में विस्तृत रुप से विचार विमर्श हुआ। जिलाधिकारी ने प्रस्ताव का समर्थन करते हए कहा कि वर्तमान परिथितियों में जबकि परतापुर बाईपास बन चुका है। इतनी अधिक चौडाई के मार्गो की आवश्यकता नहीं रहती। अन्य सदस्यों द्वारा भी जिलाधिकारी का समर्थन किया गया। यह भी कहा गया कि चूँकि बाईपास के मुताबिक पूर्व में काफी अनाधिकृत निर्माण हो चुका है और यदि इसे वर्तमान में हटाया जाता

हे तो कानून एवं शान्ति व्यवस्था पर कुप्रभाव पडेगा तथा मार्ग को यथावत रखने से कोई जनहित की पूर्ति भी नहीं होगी । इस प्रकार अधिकांश सदस्यों द्वारा यह कहा गया कि प्रस्तावित संशोधित चौडाई भी समस्त परिस्थितियों को देखते हुए काफी ज्यादा है तथा वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में कम करना ही जनहित में होगा । अध्यक्ष महोदय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि कुछ मार्गो की जहाँ स्थल पर 90 फुट से अधिक चौडाई उपलब्ध नहीं है वहाँ 90 फुट से अधिक चौडाई नहीं होनी चाहिए और यदि सडक के मध्य से 45-45 फुट के अन्दर कोई निर्माण किया गया है तो ध्वस्त करना ही उचित होगा । सबको सुनने के बाद आवास सचिव से विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि महायोजना मार्गो की चौडाई को कम करने के सम्बन्ध एक उपसमिति का गठन कर लिया जाये जो स्थलीय, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को मददेनजर रखते हुए रिर्पोट एक माह में अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करें तथा समिति का गठन निम्न किया गया । रिर्पोट प्राप्त होने पर अध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त उपाध्यक्ष इसे शासन को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेंगे ।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि महायोजना मार्गो की चौडाई के सम्बन्धमें स्थलीय स्थिति के अनुसार अध्ययन कर संस्तुति करने हेतु निम्न उपसमिति का गठन किया जाता है ।

1- सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण ।

2- जिलाधिकारी, मेरठ के प्रतिनिधि ।

3- मुख्य नगर नियोजक, मेरठ विकास प्राधिकरण ।

4- मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मेरठ ।

उपरोक्त समिति की रिर्पोट प्राप्त होने पर प्रस्ताव समिति की आख्या सहित उपाध्यक्ष द्वारा शासन को अनुमोदनार्थ सन्दर्भित किया जाये ।

मद संख्या - 14

मेरठ महायोजना - 2001 के अन्तर्गत ग्राम रोशनपुर डोरली मे पी०ए०सी० बटालियन के सामने प्रस्तावित "पार्क एवं खुल क्षेत्र" के भूउपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव निरस्त किया गया ।

मद संख्या - 15

मेरठ महायोजना-2001 में कृषि हरित पटटी भूउपयोग क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज के निर्माण की अनुमति हेतु।

प्रस्ताव स्थगित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि विस्तृत विवरण के साथ प्रस्ताव बोर्ड की आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत हो।

मद संख्या - 16

ग्राम कसेरु बक्सर परगना व तहसील मेरठ के खसरा सं०-209 क्षेत्रफल 877.5 वर्गमीटर 32.5 मी० 27 मी० भूमि पर एल०पी०जी० गैस गोदाम के निर्माण की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या - 17

प्राधिकरण की डिफैन्स एन्क्लेब योजना के अन्तर्गत लगभग 14.74 हैक्टेअर भूमि पर भूखण्डीय विकास के तलपट मानचित्र अनुमोदन के सम्बन्ध में।

प्रसताव पर इस संशोधन के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी कि तलपट मानचित्र में डस्ट बिन, सोलिड वेस्ट एकत्रीकरण के स्थानों को भी प्रदर्शित कराया जाये।

मद संख्या - 18

फातिमा सोसायटी ग्राम अछरोडा सोफिया हिन्दी स्कूल को विकास शुल्क में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह निर्णय लिया गया कि पूर्व दरों पर बाहय विकास शुल्क रुपये 27494-00 ब्याज सहित (18 प्रतिशत बार्षिक की दर से) संस्था से वसूल कर संस्था का मानचित्र स्वीकृत कर दिया जाये।

मद संख्या - 19

रक्षापुरम योजना के अन्तर्गत बसन्त बिहार सहकारी आवास समिति की ग्राम अम्हेडा आदिपुर के खसरा सं० - 399, 400, 382 व 395 की भूमि समिति को दिये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तार से विचार किया गया कि समिति की प्रशनगत अर्जित भूमि का अभी तक एवार्ड न घोषित किये जाने तथा कलैक्टर द्वारा विधिवत प्राधिकरण को कब्जा न दिये जाने के बाबजूद प्राधिकरण द्वारा उस पर विकास कार्य कराये जाने को बोर्ड ने गम्भीरता से लिया और निर्देश दिये कि उक्त कार्य अनाधिकृत रुप से करने वाले अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये और उससे अध्यक्ष महोदय/शासन को अवगत कराया जाये। बोर्ड ने यह भी निर्देश दिये कि यह देख लिया जाये कि समिति की कुल भूमि में से कितनी प्रतिशत भूमि इन्हें प्लाटेड एरिया के रुप में दिया जाना प्रस्तावित है और कितनी प्रतिशत भूमि खुले स्थान के रुप मे एवं अन्य सार्वजनिक कार्य के लिये छोडी गयी है। खुले स्थान एवं सार्वजनिक स्थान के लिये छोडी गयी भूमि प्राधिकरणके स्वामित्व में निहित होगी और उसके लिये समिति को कोई प्रतिकर देय नहीं होगा। प्राधिकरण की समिति को दी जाने वाली 5324 वर्गमीटर अतिरिक्त भूमि का सैक्टर रेट 850/- रुपये प्रति वर्गमीटर के स्थान पर वर्तमान दर रुपये 1000/- प्रति वर्गमीटर होगा।

समिति की 53513.82 वर्गमीटर भूमि पर प्राधिकरण द्वारा कराये गये विकास कार्यो की मद में समिति से रु० 355/- प्रति वर्गमीटर की दर से लिये जाने वाली धनराशि का एक बार फिर से परीक्षणकर लिया जाये और यह देख लिया जाये कि उसमें प्राधिकरण को किसी प्रकार की आर्थिक क्षति न हो तत्पशचात उस नेगोशिएयेटेट सेटिलमेन्ट को शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाये।

मद संख्या - 20

प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनाँक 24-2-92 के मद संख्या - 2(5) पर बोर्ड के निर्देश के अनुपालन में भूमि अर्जन के वह प्रस्ताव जिनमें भूमि अर्जन की स्वीकृति बोर्ड द्वारा पूर्व में की जा चुकी है

किन्तु उसमें धारा 4, 6 व 17 की विज्ञप्ति अभी तक निर्गत नहीं हुई है, उन अर्जन प्रस्तावों पर पुनर्विचार हेतु प्रस्ताव।

प्रस्ताव स्वीकृत किया गया तथा निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की जिन योजनाओं में भूमि अर्जन प्रस्ताव में धारा - 4, 6, 17 की विज्ञप्तियाँ निर्गत एवं प्रकाशित नहीं हुई है, उन प्रस्तावों को एतद द्वारा निरस्त किया जाता है तथा भविष्य में यदि किसी भूमि की अपरिहार्य कारण से आवश्यकता होती है तो प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

मद संख्या - 21

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ में अकेन्द्रीयत सेवा के कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेच्यूटी एवं सेवानिवृत्ति के समय देय अवकाश नकदीकरण सुविधा लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति के समय पेंशन आदि की सुविधा के सम्बन्ध में मेरठ नगर निगम में प्रभावी नियमावली लागू करने हेतु तथा प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

मद संख्या - 22

भूलेख निरीक्षक (परिवर्तित पदनाम राजस्व निरीक्षक) पद का वेतन पा रहे वरिष्ठ लेखपाल कोराजस्व निरीक्षक पदनाम दिये जाने का प्रस्ताव।

प्रस्ताव निरस्त किया गया।

मद संख्या - 23

श्री नानक चन्द्र, बढई के दैनिक वेतन में वृद्धि किया जाना।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि श्री नानक चन्द्र की प्रतिदिन मजदूरी बढाकर रुपये 40/- के स्थान पर रुपये 60/- प्रतिदिन की दर से भुगतान की जाये।

मद संख्या - 24

विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित भवनों/ भूखण्डों के मद में जमा धनराशि की वापसी के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार किया गया । प्रस्ताव के बिन्दु-3 पर असहमति व्यक्त की गयी, शेष प्रस्ताव स्वीकृत किया गया अर्थात जिन आबंटियों द्वारा भूखण्ड/ भवन का कब्जा प्राप्त किया जा चुका है, की धनराशि वापस किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त की गयी ।

मद संख्या - 25

श्रीमती वीना शर्मा आदि की लोहिया नगर में अर्जित भूमि के बदले में उन्हें आवासीय भूखण्ड आबंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव वापस ले लिया गया चूँकि प्रार्थीगण वीना शर्मा आदि के प्रार्थना पत्र दिनाँक 27-8-97 के अनुसार बोर्ड के पूर्व निर्णय के अनुसार कुल 500 वर्गमीटर भूमि ही लेने के लिये सहमत है ।

मद संख्या - 26

वेदव्यासपुरी योजना में सैक्टर-6 के अन्तर्गत भूखण्डीय विकास हेतु तलपट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव स्वीकृत किया गया । निर्णय लिया गया कि तलपट मानचित्र में डस्टबिन व सोलिड वेस्ट एकत्रीकरण के स्थानों को भी दर्शित किया जाये ।

मद संख्या - 27

प्राधिकरण की पल्लवपुरम आवासीय योजना में श्रीमती कामनी जैन को अबांटित भवन संख्या - टी/89 को पुरानी दर पर ही बहाल करने सम्बन्धी प्रस्ताव।

प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

मद संख्या - 28

गंगानगर योजना में श्रीमती कमलेश ठाकुर के निरस्त भूखण्ड संख्या - ए/155 के विरुद्ध जमा धनराशि वापस किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया किन्तु यह निर्देश दिये गये कि यह परीक्षण किया जाये कि नये आबंटी द्वारा समस्त देय धनराशि का भुगतान किया जा चुका है अथवा नहीं, सम्पूर्ण विवरण सहित आख्या 15 दिन के अन्दर अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जाये।

मद संख्या - 29

शताब्दी नगर योजना में श्रीमती शकुन्तला देवी एवं कुमारी विद्यावती पर देय चौकीदारी शुल्क माफी के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

मद संख्या - 30

मैसर्स इण्डस वैली प्रमोटर्स लि० की हर्ष नगर योजना में जब्त की गयी गयी अग्रिम जमानत राशि रुपये 5 लाख की वापसी के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रकरण पर प्राधिकरण के अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त कर ली जाये तथा आगामी बोर्ड बैठक मे पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

मद संख्या - 31

प्राधिकरण की शताब्दी नगरयोजना के सैक्टर-2 में श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा को आबंटित भूखण्ड की बहाली के समबन्ध में।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त आबंटन पुरानी दर पर बहाल करने का अनुमोदन किया गया।

मद संख्या - 32

डा० श्रीमती दमन गाँधी को शताब्दी नगर योजना के सैक्टर-1 में आबंटित भूखण्ड संख्या सी-89 क्षेत्रफल 250 वर्गमीटर पर दण्ड ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

मद संख्या - 33

श्री राहुल श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता के वायरल हेपेटाईटिस से ग्रसित होने पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

मद संख्या - 34

विक्टोरिया पार्क में एन०सी०सी० आफिस के बगल में अनुसूचित जाति की छात्राओं के हास्टल के निर्माण की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया।

मद संख्या - 35

पल्लवपुरम, श्रद्धापुरी, सैनिक बिहार एवं डिफैन्स एन्क्लेब योजनाओं में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनाँक 30-4-97 के द्वारा प्रतिकर में वृद्धि एवं तदोपरान्त योजनाओं की परिसम्पत्तियों की कीमत में वृद्धि के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव का प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अवलोकन किया गया तथा निर्देश दिया गया कि आबंटियों से प्राप्त होने वाली बढी हुई धनराशि को एक अलग खाते में जमा कराया जाये तथा इस धनराशि को देय अतिरिक्त प्रतिकर के रुप में भुगतान किया जाये साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि पुनरीक्षण याचिकाओं में समुचित पैरवी सुनिशिचत की जाये तथा प्रगति से अध्यक्ष महोदय एवं शासन को समय-समय पर अवगत कराया जाये।

मद संख्या - 36

गंगानगर एक्सटेंशन योजना के अन्तर्गत फार्म हाऊस भूखण्ड विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

1- प्रस्तुत योजना में फार्म हाऊस के बाईलाज तथा विकास प्राधिकरण की भवन उपविधि में कुछ संशोधन किये गये हैं अत: इन्हें और विस्तृत रुप मेंशासन के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाये।

2- योजना के प्रकाशन के समय भू-अधिग्रहण की स्थिति विज्ञापन में अवश्य स्पष्ट की जाये।

3- योजना को स्ववित्त पोषित बनाया जाये तथा पंजीकरण के उपरान्त आवंटन की धनराशि का भी प्राविधान रखा जाये जिससे कब्जा लेने से पूर्व भूअर्जन हेतु आवश्यक धनराशि प्राप्त हो जाये तथा इसके अतिरिक्त कुछ धनराशि विकास कार्य प्रारम्भ करने में भी उपलब्ध हो सके। उपरोक्त योजना का क्रियान्वयन करने की अनुमति प्रदान की गयी।

अनुपूरक मद संख्या - 1

प्राधिकरण की हर्ष नगर योजना की भूमि के निस्तारण के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा निर्देश दिये गये कि योजना का प्रस्ताव में विकल्प-३ के अनुसार आयुक्त महोदय से अनुमोदन कराकर भूमि निस्तारणहेतु योजना Launch करायी जाये।

अनुपूरक मद संख्या - 2

श्रीमती किरन जैन द्वारा प्रस्तुत मानचित्र सं०- 25/97 के सन्दर्भ में।

प्रस्ताव स्थगित किया गया।

अनुपूरक मद संख्या - 3

ग्राम नंगलाताशी में सेन्ट्रल बैंक कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति लि० की भूमि का भूउपयोग "कृषि हरित पटटी" से "आवासीय" में परिवर्तन की प्रार्थना के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव स्थगित किया गया।

अनुपूरक मद संख्या - 4

अलफलाह चैरीटेबिल ट्रस्ट के लोहिया नगर योजना में पब्लिक स्कूल की स्थापना हेतु भूमि आबंटन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव निरस्त किया गया यदि संस्था चाहे तो उसे शिक्षण संस्थाओं हेतु आरक्षित भूमि में से भूमि आबंटित कर दी जाये।

अनुपूरक मद संख्या - 5

शहजार सहकारी आवास समिति लि० मेरठ द्वारा "मेरठ खास" के खसरा नं०-4801, 4807 व 4810 का भूउपयोग मेरठ महायोजना - 2001 के अन्तर्गत पार्क एवं खुले स्थल/वन से आवासीय भूउपयोग में परिवर्तन हेतु की गयी प्रार्थना के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तार से विचार किया गया। इस प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा कोई मत व्यक्त नहीं किया गया अपितु निर्देश दिये कि उपरोक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में पूर्व मे उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा गठित कमेटी की रिर्पोट यथावत शासन को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी जाये।

अनुपूरक मद संख्या - 6

श्रीमती उमा ग्रोवर की गंगानगर फेज-3 पाकेट "ए" में आबंटित भूखण्ड सं०-88 के विरुद्ध जमा की गयी धनराशि की वापसी के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव यथा स्वीकृत किया गया।

अनुपूरक मद संख्या - 7

शताब्दी नगर योजना के अन्तर्गत उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० की 68 एकड औद्योगिक भूमि आबंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तार से विचार किया गया और प्रस्ताव पर निम्न प्रकार स्वीकृति प्रदान की गयी ।

क- प्राधिकरण की शताब्दी नगर योजना में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को औद्योगिक प्रयोजन हेतु आबंटन के लिये प्रस्तावित 68 एकड भूमि की रॉ लैन्ड कास्ट रुपये 175/- प्रति वर्गमीटर होगी । इसके लिये धनराशि का एकमुशत भुगतान निगम द्वारा किया जाना होगा । यदि भविष्य में माननीय न्यायालय से भूमि अधिग्रहण की दरों में वृद्धि होती है तो बढी हुई धनराशि के भुगतान का उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम एवं उसके आबंटियों का संयुक्त रुप से अथवा अलग अलग होगा ।

ख - बाहय विकास शुल्क के रुप में धनराशि वर्तमान समय में उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा देय नहीं होगी परन्तु यह भूमि निगम द्वारा जिन उद्यमियों को आबंटित की जायेगी वह उनसे वसूल की जायेगी । जब तक बाहय विकास शुल्क की धनराशि आबंटी द्वारा भुगतान नहीं की जाती है उसका मानचित्र स्वीकृत नहीं किया जायेगा । इस आशय का उल्लेख निगम द्वारा उद्यमियों को निर्गत किये जाने वाले आबंटन पत्र पर करना होगा । बाहय विकास शुल्क के रुप में बाहय विकास पर किये गये वास्तविक व्यय पर 15 प्रतिशत जोडते हुए जो धनराशि होगी वह बाहय विकास शुल्क के रुप में देय होगी । निगम को आबंटित की जाने वाली भूमि को पी०डब्ल्यू०डी० की सडक से आबंटित भूमि तक जोडने वाली सडक तथा उस सडक पर बनायी गयी नाली एवं प्रकाश व्यवस्था पर जो भी वास्तविक व्यय होगा उसका पुनः आकलन प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा । उस धनराशि को वास्तविक व्यय मानकर उसमें 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए निगम को सूचित किया जाये । इसकी

वचनबद्धता उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम एवं सम्बन्धित आबंटी द्वारा प्राधिकरण को अलग अलग देनी होगी ।

विचार विमर्श के दौरान औद्योगिक एस्टेट में मानचित्रों की स्वीकृति का प्रकरण अध्यक्ष महोदय द्वारा उठाया गया । उक्त सन्दर्भ में निर्णय लिया गया कि पूर्व में शासन द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा औद्योगिक एस्टेट के क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृति का अधिकार उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा - 15 के अन्तर्गत अपर निदेशक उद्योग, मेरठ को प्रतिनिधायित किया जाये ।

अनुपूरक मद संख्या - 8

कम्प्यूटर अनुभाग में कार्यरत संयत कर्मचारी के वेतन में वृद्धि ।

प्रस्ताव यथा स्वीकृत किया गया ।

ह०/-
सचिव
विकास प्राधिकरण,
मेरठ ।

ह०/-
उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण,
मेरठ ।

ह०/-
अध्यक्ष
विकास प्राधिकरण,
मेरठ ।